

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स आरुण्या कं० एण्ड सप्लाइ सर्विसेज प्रा० लि०, निदेशक: श्री संतोष कुमार, पिता-श्री महेन्द्र प्रसाद, पता-कौशल्या भवन, जिला परिषद् मार्केट, राजगीर, नालंदा, राज्य-बिहार द्वारा अरवल सोन नदी स्थित अरवल सोन-15 (बेलौव 2 घाट-A) बालू घाट, मौजा-बेलौव, अंचल-कलेर, जिला-अरवल, बिहार के अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 06.08.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय कलेर परिसर के सभाकक्ष में, कलेर, जिला-अरवल के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/3638/2026, dated 11.05.2026 के आलोक में श्री रवि प्रसाद चौहान, अपर समाहर्ता, (राजस्व) अरवल (जिला पदाधिकारी, अरवल के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 06.08.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय कलेर परिसर के सभाकक्ष में, कलेर, जिला-अरवल में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 03.07.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गयाजी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। यह बालू खनन पट्टा अरवल सोन नदी बालू घाट-15 (बेलौव-2 घाट-A), मौजा-बेलौव, अंचल-कलेर, जिला-अरवल में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री संतोष कुमार, पिता: श्री महेन्द्र प्रसाद को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है, इस खनन पट्टा में 24.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 725760 टन बालू का खनन प्रस्तावित है, इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 7 करोड़ 25 लाख 40 हजार (निलामी लागत सहित अनुमानित है)।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी द्वारा अरवल सोन नदी बालू घाट-15 (बेलौव 2-A), मौजा-बेलौव, अंचल-कलेर, जिला-अरवल, के लेसी के प्रतिनिधि श्री वेंकटेश सिंह को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी के प्रतिनिधि श्री वेंकटेश सिंह के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर समाहर्ता की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य

परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (240 No.s) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

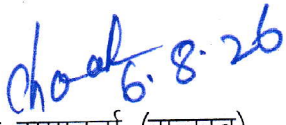
परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:—

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
	(1) श्री विकास कुमार, पिता—श्री नारायाण सिंह, ग्राम—बेलौव, प्रखंड—कलेर, जिला—अरवल। (2) श्री रामकेवल यादव, पिता—श्री भगरू यादव, ग्राम—बेलौव, प्रखंड—मकेर, जिला—अरवल (3) श्री रंजीत कुमार, पिता—श्री किताबलाल यादव, ग्राम—बेलौव, प्रखंड—मकेर, जिला—अरवल	इन सभी ग्रामवासीयों के द्वारा अनुरोध किया गया कि बालू के परिवहन का कार्य ग्रामीण सड़क को छोड़ कर अन्य रास्ता बनाकर किया जाये जिससे स्थानीय ग्रामीणजन को असुविधा न हो। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि एवं इनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि ग्रामीण सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो बाईपास रोड से बालू घाट तक अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। चूंकि सरकार के पास भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए किसानों के रैयती भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा। उक्त भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त समय लगने की संभावना है, जिसके कारण बालू घाट के संचालन में विलंब हो सकता है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि जन-सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् ही बालू घाट का संचालन का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा श्री विकास कुमार, श्री रामकेवल यादव एवं श्री रंजीत कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। नदी में बालू की खुदाई 3 मीटर तक ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को इस लोक-सुनवाई का वृत्त भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गयाजी


अपर समाहर्ता (राजस्व)
अरवल

उपस्थिति सूची

मेसर्स आरुण्या कं० एण्ड सप्लाइ सर्विसेज प्रा० लि०, निदेशक:—श्री संतोष कुमार, पिता: श्री महेन्द्र प्रसाद, पता—कौशल्या भवन, जिला परिषद् मार्केट, राजगीर, नालंदा, राज्य—बिहार द्वारा अरवल सोन नदी स्थित अरवल सोन—15 (बेलॉव 2—घाटA) बालू घाट, मौजा—बेलॉव, प्रखंड—कलेर जिला—अरवल (बिहार) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 06.08.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, कलेर, जिला—अरवल में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	रवि प्रसाद झा	अरवल समाहता अरवल	chood 6.8.26
2.	मनोज्ञ कुमार सिंह	सोनीय पदोद्वारारी, रवि० ए० प्र० नि०, पसिद, जयजी	MK 6.8.26
3.	Abhishek Gupta	Mines Inspector Arwal	Abhi Gupta 6 Aug 2026
4.	Nitish Kumar	Agis Env. Res. Pvt. Ltd. (Env. consultant)	Nitish Kumar
5.	Uttam Kaur	Circle Officer Kaur	3/6/8/26
6.	Binkal Singh	Patna gela	Binkal 6/08/26
7.	महेन्द्र प्रसाद यादव पिता महेन्द्र प्रसाद यादव वटन बिगडा	वटन बिगडा	महेन्द्र प्रसाद यादव
8.	रंजीत कुमार पिता—श्री लाकन बेला सिताब यादव	वटन बिगडा	रंजीत कुमार
9.	सुमित कुमार पिता मनोज कुमार सिंह	वटन बिगडा	सुमित कुमार

10.	विकाश कुमार एक लालकण सिंह	बेलवा	पुनर्वसन काम
11.	मोनु कुमार रव विनयशर्मा	बेलवा	मोनु कुमार
12.	Aditya Singh Raj Singh	Belwa	
13.	Mr. Zehin Alam Mr. Zubair Akram	डिब्रुगढ़	Mr. Zehin Alam
14.	सिमुन कुमार रामानुज प्रसाद	बेलवा	सिमुन कुमार
15.	मिनीश कुमार नन्द किशोर सिंह	बेलवा	
16.	राकेश सिंह	बेलवा	
17.	Binkar Singh	पटना	Binkar
18.	मिहिर मंडल	कटन	मिहिर
19.	Amit Kumar Salant Singh	बेलवा	Amit
20.	Mr. Abir Prasad	बेलवा	Mr. Abir